मान्यवर कांशीराम

राजकीय महाविद्यालय

कासगंज- 207123, (उ०प्र०)

सम्बद्ध : डॉ० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय) आगरा

www.gdckanshiramngar.com www.dbrau.ac.in

900 900

छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित संस्था

प्रवेश विवरणिका एवं आवेदन पत्र

20 - 20

CS Scanned with CamScanner

महाविद्यालय में...

- बी. एस–सी. (जीव विज्ञान एवं गणित वर्ग)
- बी.ए.
- बी. कॉम.

गुणवत्ता एवम् संस्कारवान शिक्षा जीवन
और जीविका दोनों के उद्देश्य संरक्षित

- सुसज्जित प्रयोगशाला।
- विशाल पुस्तकालय ।
- हवादार क्लासरूम।
- पीने का स्वच्छ जल ।
- बिजली की व्यवस्था।
- आने व जाने की व्यवस्था।
- स्वच्छ प्रदूषण मुक्त शान्त वातावरण।
- खेल–कूद, एन. एस. एस., एन सी सी, रोवर्स रेन्जर्स जैसी पाठेत्तर गतिविधियाँ।

मूल्य : 200/-

डाक मूल्य : 220/-

CS Scanned with CamScanner

मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय

कासगंज (उत्तर प्रदेश)

प्राचार्य की कलम से ......

एक अपील छात्र एवं अभिभावकों से

युवा छात्र किसी भी राष्ट्र के भावी कर्णधार हुआ करते है। राष्ट्रोत्थान के लिए इस युवा पीढ़ी का सद्चरित्र, समयबद्ध, सत्यनिष्ठ, सद्भावी, सृजनशील, सहृदय, सहयोगी, समन्वयी अनुशासित एवं राष्ट्रप्रेमी होना अति आवश्यक है। विश्व के सम्मुख मुँहबाए खड़ी भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान भी ईमानदार, अनुशासित एव आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी के माध्यम से ही सम्भव है। ऐसे मे समाज का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह युवावर्ग को सृजनशील बनाने में पूर्ण मनोयोग से सद्प्रयास करें। निस्सन्देह! वर्तमान युवा पीढ़ी में असीमित ऊर्जा है, नैसर्गिक प्रतिभाएँ है, कड़ा श्रम करने की शक्ति है और साथ ही साथ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा भी है। आवश्यकता है तो बस इतनी कि हम उसकी ऊर्जा को समुचित दिशा प्रदान कर सकें।

इस पुनीत कार्य में अपने प्रिय छात्र/छात्राओं के सहयोग के साथ-साथ अभिभावकजन का भी सहयोग अपेक्षित है। अभिभावक को ही इन युवाओं को समझाना होगा कि वह नियमित रुप से कक्षाओं में उपस्थित होकर प्रबुद्ध प्राध्यापकों से ज्ञानार्जन का लाभ उठायें और वर्ष पर्यन्त अध्यनरत् रहकर सच्चे अर्थों में विद्यार्थी बनें। स्वयं का विकास करें और राष्ट्रोन्नति में अपना सराहनीय सहयोग प्रदान करें। अभिभावक , अध्यापक एवं समाज के सुधिजनों के सहयोग से आइए नई पीढ़ी को भ्रामकता की स्थिति से बचाते हुए उसे राष्ट्रहित में सहयोगी बनाने की दिशा में प्रयास करें।

आप सभी के सहयोग का आकांक्षी।

प्राचार्य

CS Scanned with CamScanner

परिचय

नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय कासगंज, जनपद - कासगंज का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है जो मुख्यालय से लगभग 7 कि0 मी0 कासगंज - सलेमपुर बीबी / सोरों बदरिया मार्ग पर स्थित है । राजकीय महाविद्यालय सामाजिक एवं उच्च शिक्षा में पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है । यह महाविद्यालय डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय), आगरा (वर्ष 2010) से उ. प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ. प्र. राज्य विश्वविद्यालय संसोधन अधिनियम 2007) के अधीन - वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.कॉम. पाठ्यक्रम / विषयों में कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल पाठ्यक्रम/विषयों में तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर बी. एस सी. (बायो /मैथ) पाठ्क्रम विषयों में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 2615 / सत्तर - 5 - 2013 - 41 (4) / 2010 दिनांक 03 दिसम्बर 2013 के द्वारा दिनांक 01-07/2013 से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। महाविद्यालय पर उत्तर प्रदेश शासन एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय परिनियमावली लागू होती है ।

महाविद्यालय में सुसज्जित प्रयोगशालायें, विशाल पुस्तकालय, हवादार कक्ष, पीने का स्वच्छ जल, बिजली की व्यवस्था, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त हरा भरा शान्त वातावरण एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल-कूद एन. एस. एस., रोवर्स रेन्जर्स, एन. सी. सी. जैसे पाठ्येत्तर गतिविधियाँ एवं कैरियर कांउसिल सैल संचालित होंगी ।

महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का विवरण

1. बी0 ए0 प्रथम वर्ष में कुल सीटों की संख्या .... 60 / विषय
2. बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में कुल सीटों की संख्या .... 60 / विषय
3. बी0एस0सी0 (गणित वर्ग) प्रथम वर्ष में कुल सीटों की संख्या .... 60 / विषय
4. बी0एस0सी0 (बायो वर्ग) प्रथम वर्ष कुल सीटों की संख्या .... 60 / विषय
5. उक्त सीटों के अतिरिक्त शासन के आदेश के अनुपालन में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें परिस्थतिवश अनुमन्य की जा सकती हैं ।

Scanned with CamScanner

प्रवेश सम्बन्धी नियम

(अ)

प्रवेश आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सम्बन्धी नियम एवं समस्त निर्देशों को अवश्य पढ़ लें

1. महाविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता के अनुसार किया जायेगा ।
2. प्राचार्य को किसी भी प्रवेशार्थी के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रोकने / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है ।
3. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग - अलग आवेदन करना अनिवार्य है ।
4. किसी भी प्रवेशार्थी को एक साथ दो पाठ्क्रमों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
5. विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्ण हो ।
6. विद्यार्थी जो स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुका है और तदनन्तर वह एक अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश बिना पूर्व पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेता है तो उस दशा में पूर्व के स्नातक पाठ्यक्रम को निरस्त माना जायेगा / हो जायेगा ।
7. महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की अनुमति की प्रत्याशा में स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिये अनुमति कर सकता है । जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में उत्तीर्ण की हो ।
8. जिस विद्यार्थी ने शैक्षिक सत्र में उपस्थिति पूर्ण कर ली हो और वह परीक्षा में बैठा या विवि. परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे पुन: उसी कक्षा या पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
9. ऐसे प्रवेशार्थी जिनका आचरण असंतोषजनक संदिग्ध रहता है वह महाविद्यालय में प्रवेश **नहीं** पा सकेगा ।
10. प्रवेश के समय अनुशासनहीनता करते पाये गये प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
11. अनुशासनहीनता के लिए दण्डित किये गये प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
12. अनुचित साधन का प्रयोग करते पाये गये प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
13. प्रवेशार्थी जिनके विरूद्ध न्यायालय में दण्डनीय अभियोग चल रहा है / दण्डनीय अपराध में सजा दी सकती हो या जिनका चरित्र संदिग्ध हो अथवा जो अवांछनीय तत्व है या उसके साथ रहने वाले हैं महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । ऐसे प्रवेशार्थी मिथ्या वर्णन /त्रुटिवश अथवा तथ्यों को छुपाकर यदि प्रवेश पा लेते हैं तो प्राचार्य को इनको तत्काल निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है ।
14. जिस विद्यार्थी अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावक ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारी अन्य विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार की गुण्डागर्दी, रैगिंग या अन्य तरीके से निन्दनीय वातावरण का सृजन किया हो या करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा अथवा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
15. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के कैजुअल प्रवेश की व्यवस्था नहीं हैं ।
16. विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेशों के अलावा यदि किसी अभ्यर्थी के प्रार्थना-पत्र व प्रवेश आवेदन-पत्र पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की प्रवेश देने सम्बन्धी टिप्पणी होने पर प्रवेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।
17. प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर समस्त प्रवेश स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम और सर्वमान्य होगा ।
18. छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक छात्र / छात्रा अपने पासबुक ~~की फोटो प्रति~~ (केवाय आधार एवं जाति आय अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति) अनिवार्य रूप से प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।
19. विश्वविद्यालय द्वारा छात्र / छात्रा को अंक तालिका निर्गत न होने की स्थिति में महाविद्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
20. महाविद्यालय प्रशासन, शासन एवं विश्वविद्यालय परीक्षा नीति के अनुसार नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु कटिबद्ध रहेगा।
21. महाविद्यालय के समस्त संकायों में संस्थागत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति प्रत्येक कक्षा में 75 प्रतिशत अनिवार्य है ।

CS Scanned with CamScanner

आरक्षण एवम् मैरिट नियमावली (उ0 प्र0 शासन के नियमानुसार)

उर्ध्वाधर आरक्षण

1. उ. प्र. की अनुसूचित जाति - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत
2. उ. प्र. की अनुसूचित जन जाति - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत
3. उ. प्र. का (अन्य) पिछड़ा वर्ग - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत
4. " " " आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कमजोर EWS - 10 प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण

1. उ. प्र. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत
2. उ. प्र. के सेवानिवृत या युद्ध में मारे गये या अपंग हो गये सैनिक कर्मचारी के पुत्र / पुत्री - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 5 प्रतिशत
3. उ. प्र. के अपंग अभ्यर्थियों - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 3 प्रतिशत
4. उ. प्र. महिला अभ्यर्थियों - प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 20 प्रतिशत

शैक्षणिक अंकों की गणना

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत ।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत ।

नोट :- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री मेडीकल तथा 11+1+3 की पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे।

अतिरिक्त (भार) अंक (अधिकतम 17 अंक तक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंको का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

CS Scanned with CamScanner

भार अंक

1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए — 5 अंक
2. एन सी सी "सी" सर्टीफिकेट / जी – 2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

   अथवा

   एन सी सी "बी" सर्टीफिकेट / जी – 1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

   अथवा

   एन सी सी केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है, 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है । — 3 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र / पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र / पौत्री) — 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के पुत्र / पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र /पौत्री) — 5 अंक
5. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें जिन्होंने इण्टर मीडिएट 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीण की हो ।
6. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बन्धित महाविद्यालयों सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्व विद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थाई / अध्यापकों एवं कर्मचरियों के पति / पत्नि / पुत्री / पुत्र तथा कृषित संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री — 17 अंक
7. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति पत्नी, पुत्र/पुत्री (अविवाहित) — 10 अंक
8. कारगिल के ऑपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र / पुत्री / विधवाओं को । — 17 अंक

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा । यदि यह घोषणा गलत पाई गई । तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
3. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारतसमझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था ।
4. अतिरिक्त अंकों के संदर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण -पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेल-कूद अधिकारी स्पोटर्स कौन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित/ एन सी सी अधिकारी / एन एस एस अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण - पत्र ही मान्य होगा ।

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना होगा । डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।
2. एक कक्षा / विषय / संकाय के लिए भरा गया आवेदन पत्र केवल उसी कक्षा/विषय / संकाय के लिए मान्य होगा किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्थानान्त्रित नहीं किया जा सकेगा।

CS Scanned with CamScanner

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, **अथवा** आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (समस्त प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी द्वारा अभि प्रमाणित होने चाहिये)

   (क) हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति ।

   (ख) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक पत्रों की फोटो प्रति ।

   (ग) अन्तिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र **की मूल प्रति** ।

   (घ) पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को एक अतिरिक्त चरित्र प्रमाण-पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी, संसद सदस्य / विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा।

   (ङ) अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत टी. सी. / प्रवजन प्रमाण - पत्र ।

   (च) अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थियों को माइग्रेशन **सर्टिफिकेट** (तुरन्त जमा न करने की स्थिति में प्रोविजनल प्रमाण-पत्र) देना होगा ।

   (छ) अनुसूचित जाति /पिछड़ी जाति / अनुसूचित जनजाति / स्वतंत्रता सेनानी / सुरक्षा सेवा के गार्ड/ अपंग / एन सी सी / खेल आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण - पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति।

   (ज) प्रवेशार्थी अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन फोटो चिपकायें ।

   (झ) छात्रवृत्ति अथवा शुल्क मुक्ति के लिये अर्ह प्रवेशार्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, जिसके साथ सक्षम अधिकार द्वारा निर्गत अभिभावक का नवीनतम आय प्रमाण - पत्र संलग्न हो / प्रस्तुत न करने/आवेदन-पत्र एवं प्रमाण-पत्र के अभाव में छात्रवृत्ति शुल्क मुक्ति पर विचार करना सम्भव न होगा ।

4. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऐसे प्रवेशार्थी **जिन्होंने गत वर्ष** की परीक्षा इसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है, अपने आवेदन- पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे ।

   (क) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति जिस पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।

   (ख) प्रवेशार्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम् फोटो यथास्थान चिपकायें ।

5. आवेदन-पत्र निर्धारित सलग्नकों के साथ निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

6. अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

साक्षात्कार सम्बन्धी निर्देश

1. प्रत्येक कक्षा में प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें (जैसे साक्षात्कार का समय एवं स्थान, श्रेष्ठता सूची/प्रतीक्षा सूची की अन्तिम तिथि) तथा समय महाविद्यालय के सूचनापट पर ही लगायी जायेंगी।
2. समय से सही सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का दायित्व होगा। इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार से सूचना नहीं दी जायेंगी ।
3. साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी को स्वयं माता/पिता/अभिभावक (यदि माता-पिता जीवित न हों) उपस्थित होना अनिवार्य हैं ।
4. साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण-पत्र, टी0 सी0, चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे ।
5. प्रवेश संस्तुति हो जाने पर तुरन्त शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा **प्रवेश** निरस्त हो जायेगा।

Scanned with CamScanner

पाठ्य विषय

स्नातक कला संकाय :

1. **अनिवार्य** विषय - सामान्य अंग्रेजी / सामान्य हिन्दी / सामान्य संस्कृत (कोई एक)
2. **वैकल्पिक** विषय - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल एवं इतिहास ।

विशेष - इन विषयों में से कोई तीन विषय चयनित करने होंगे जिनमें से तीन साहित्य एक साथ नहीं लिये जा सकेंगे ।

स्नातक विज्ञान संकाय :

सभी विषय अनिवार्य हैं ।

गणित वर्ग - रसायन विज्ञान, भौतिक व गणित **जीव विज्ञान वर्ग** - रसायन विज्ञान, वनस्पति व जन्तु विज्ञान

स्नातक वाणिज्य संकाय :

महाविद्यालय में निम्नलिखित तीन विषय वर्गों का अध्ययन सम्पादित कराया जाता है -

1. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 2. एकाउन्ट्स एण्ड लॉ ग्रुप 3. एप्लाइड बिजनेस इक्नॉमिक्स ग्रुप

टिप्पणी - वैकल्पिक विषयों के चयन हेतु विभागाध्यक्ष वाणिज्य से सम्पर्क करें ।

विषय चयन सम्बन्धी निर्देश :

1. स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय रिक्ति के आधार पर आवंटित किये जायेंगे ।
2. स्नातक स्तर पर नये विषय का निर्धारण सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति एवं रिक्तता के आधार पर ही प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा ।
3. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में केवल विषय का उल्लेख करना है न कि वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का।
4. बी0 ए0 तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी को द्वितीय वर्ष के तीन वैकल्पिक विषयों में से किन्ही दो विषयों का चयन उक्त कक्षा की प्रवेश समिति के निर्देशानुसार करना होगा ।

टिप्पणी :

1. स्नातक प्रथम वर्ष में एक अनिवार्य विषय तथा तीन वैकल्पिक विषयों अर्थात् कुल चार विषयों का अध्ययन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा वर्जित विषय संयोग (कम्बीनेशन) नहीं लिया जा सकता ।
3. स्नातक स्तर पर सभी संकायों के लिए - **प्रथम वर्ष फिजीकल एजूकेशन, द्वितीय वर्ष राष्ट्र गौरव, तृतीय वर्ष एनवाइरनमेण्टल स्टडी**

अनुशासन सम्बन्धी नियम

शास्ता मण्डल विद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है । शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Proctor) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक-एक सह मुख्य शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं । महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक पदेन शास्ता मण्डल के सदस्य होते हैं । शास्ता मण्डल द्वारा समय - समय पर बनाये गये नियमों को अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है । अनुचित आचरण करने / नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है ।

महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें । यदि कोई शिकायत हो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छान-बीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

Scanned with CamScanner

मुख्य अपराध

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना ।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना ।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना ।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना ।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है ।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार - प्रसार या प्रदर्शन करना ।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण - पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना ।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों / निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना ।

निषेध

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना ।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना ।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना / क्षति पहुँचाने का प्रयास करना ।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना ।
5. कक्षा में च्युंगम, पान मसाला, गुटका, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना ।
6. महाविद्यालय के अधिकारी / शास्ता मण्डल / प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इन्कार करना ।
7. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है ।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम :

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय-पत्र का होना आवश्यक है, जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें । परिचय पत्र खोने की स्थिति में खोने की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है ।
2. जिन छात्रों की गतिविधियों शास्ता मण्डल / महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है / निष्कासित किया जा सकता है / उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल के समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वत: एवं तथ्यत: निष्कासित हो जायेगा।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे ।

Scanned with CamScanner

नोट :

1. कोई भी विद्यार्थी यदि नियत अवधि के अन्दर शुल्क जमा नहीं कर सकता है अथवा 15 दिन से अधिक अवधि तक लगातार अनुपस्थित रहता है और अपने अनुपस्थित रहने का सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाता है तो उसका नाम महाविद्यालय पंजिका से काट दिया जायेगा।
2. चरित्र प्रमाण-पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण -पत्र कार्यालय को इस आशय हेतु किये गये प्रार्थना-पत्र (अदेय प्रमाण-पत्र सहित) की प्राप्ति तिथि से कम से कम चार दिनों के बाद ही निर्गत किये जा सकेंगे ।
3. प्रतिभूति धनराशि वर्ष में केवल दो बार ही लौटाई जा सकेगी। आवेदन - पत्र माह नवम्बर तथा अप्रैल में जमा होंगे । तथा भुगतान अगले माह किया जायेगा। यह सुविधा महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष तक ही रहेगी।

छात्रवृत्ति के नियम हेतु

छात्रवृत्ति उ. प्र. सरकार के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नियमावली के अनुसार देय होगी। अधिक जानकारी के लिए Helpline - Toll Free Number - 18001036048 पर सम्पर्क करें अथवा Scholarship.up.nic.in पर देखें ।

महाविद्यालय का गणवेश

गणवेश :- महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु छात्र / छात्राओं को गणवेश (यूनीफार्म) में आना आना आवश्यक है ।

छात्र ***काली पैन्ट, सफेद शर्ट***

छात्रायें ***सफेद सलवार व सफेद कमीज एवं सफेद दुपट्टा ।***

Scanned with CamScanner

आवश्यक सूचना

1. राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालन में प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
2. विश्वविद्यालय का नियम है कि अंक तालिका प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अभ्यर्थी प्रवेश ले सकता है । प्रवेश अन्तिम तिथि समाप्त होने तक ही मान्य होगा ।
3. प्रवेश की आवेदन पत्रिका का विवरण, जमा करने की अन्तिम तिथि एवं किसी भी परिवर्तन की दशा में महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित की जायेगी।
4. फोटो व प्रमाण-पत्र (संलग्नक) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित मान्य होंगे ।
5. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण - पत्र दिखाना आवश्यक है । मूल प्रमाण - पत्र प्रस्तुत न करने पर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. निर्धारित तिथि / समय की समाप्ति पर कोई भी प्रवेश सम्भव नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार का दवाब डलवाने का प्रयास कदापि न करें ।
7. प्रवेश श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर होगा तथा सूचनायें महाविद्यालय / विभागीय सूचना पट पर उपलब्ध रहेंगी ।
8. उपरोक्त प्रवेश नियमों तथा तिथियों में विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी परिवर्तन की सूचना महाविद्यालय सूचना पट पर अथवा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
9. प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं तिथियों के अनुसार किये जायेंगे ।
10. साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी के पिता / माता / संरक्षक का आना अनिवार्य है ।
11. साक्षात्कारोपरांत प्रवेश हेतु संस्तुति प्रवेश होने पर प्रवेशार्थी द्वारा उसी दिन निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है । शुल्क न जमा करने की स्थिति में प्रवेश स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा। शुल्क सम्बन्धी जानकारी महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें ।
12. जिलाधिकारी (कासगंज) द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किये गये फोटो पहचान पत्र एवं आधार क्रमांक की प्रतिलिपि फार्म के साथ संलग्न अवश्य करें । अन्यथा की स्थिति में आपका प्रवेश अपूर्ण माना जायेगा।

CS Scanned with CamScanner